न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री मनमोहन व्यास, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 36/2019

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. मंघाराम पुत्र रामचन्द्र सांखला जाति–माली, निवासी–रियाबड़ी, तहसील–रियाबड़ी, जिला–नागौर, राज. 2. राजेश पुत्र शांतिलाल जाति–जैन निवासी–रियाबड़ी,तहसील– रियाबड़ी, जिला–नागौर राज. 3. राजुराम पुत्र मंगलाराम जाति–माली, निवासी–भैरूजी का बाड़िया रास, तहसील–जैतारण, जिला–पाली राज. 4. कानाराम पुत्र पेमाराम जाति–माली, निवासी–रियाबड़ी, जिला–नागौर राज. 5. मोहनलाल पुत्र पुखराज जाति–माली, निवासी–रियाबड़ी, जिला–नागौर राज.		1. घेवरराम पुत्र नाथुराम 2. हड़मानराम पुत्र नाथुराम 3. लुम्बाराम पुत्र नाथुराम 4. पेमाराम गोद पुत्र सांवलराम 5. मांगु पुत्र मोहन 6. रामप्यारी पत्नी मोहन 7. उगमाराम पुत्र पुखराज 8. परमाराम पुत्र पुखराज 9. नोरतराम पुत्र पुखराज 10. सुआराम पुत्र पुखराज 11. भंवरी पत्नी पुखराज 12. भंवरलाल पुत्र बस्ताराम जातियान–माली, निवासीगण–बलाड़ा, तहसील–जैतारण, जिला–पाली राज. 13. शाखा प्रबंधक महोदय, एम.जी. बी. बैंक शाखा–बलाड़ाख तहसील–जैतारण, जिला–पाली 14. शाखा प्रबंधक महोदय, एस.बी. आई. शाखा–निमाज, तहसील–जैतारण, जिला–पाली 15. शाखा प्रबंधक महोदय, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा–जैतारण, जिला–पाली राज. 16. तहसीलदार, जैतारण तहसील–जैतारण, जिला–पाली

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:.19/02/2019

उपस्थितः. 1. श्री सुनिल प्रजापति, राकेश वैष्णव अधिवक्ता, वादी।
2. श्री जगदीश सोलंकी, श्री करणाराम चौधरी अधि. प्रति.।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः– 19/06/2019

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा–सरहद मौजा बलाड़ा प्रथम, पटवार हल्का–बलाड़ा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र–रास, तहसील–जैतारण, जिला–पाली राजस्थान में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त सामलाती अविभाजित सामलाती खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 195 रकबा 00–07 बीघा, खसरा नम्बर 196 रकबा 00–08 बीघा, खसरा नम्बर 197 रकबा 77–10 बीघा कुल खसरा 3 कुल रकबा 78–05 बीघा आई हुई है। जिसमें वादीगण का 1/3 व 1/6 यानि कुल भूमि में 1/2 हिस्सा आता है तथा इसी हिस्सेनुसार वादीगण मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। जिसकी जमाबंदी संवत् 2073–2076 व नक्शा ट्रेश की प्रमाणित प्रति साथ संलग्न है जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। उपरोक्त कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त सामलाती कृषि भूमि है जिसका बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के कानूनी बंटवाड़ा नहीं हो रखा है तथा उपरोक्त कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर शांतिपूर्ण तरीके से काश्त व काश्त मुतलिक तमाम कार्य करते आ रहे है। परन्तु उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में सामलाती दर्ज होने से आये दिन प्रतिवादीगण वादीगण के साथ सीमा को लेकर विवाद करते रहते है एवं वादीगण की

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

खंदक/मेड़बंदी को तोड़ फोड़ कर देते है। एवं वादीगण को हर समय उनके हक हिस्से से बेदखल करने पर आमादा रहते है। उक्त कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की अविभाजित कृषि भूमि होने से वादीगण अपने हक हिस्से व बंट की भूमि में आधुनिक तरीके से कृषि करने हेतु बैंक से ऋण नही ले सकता तथा अपनी कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण नही करवा सकता एवं अनेकों प्रकार की राज्य एवं भारत सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से वंचित होना पड़ रहा है एवं अनेकों प्रकार की कठिनाईयां तथा समस्याओं का सामना करना पड़ता है इसलिए वादीगण ने प्रतिवादीगण को उक्त संयुक्त सामलाती अविभाजित कृषि भूमि जो मौके पर अपने हक हिस्से बंट अनुसार बंटी हुई है का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के कानूनी बंटवाड़ा करवाने हेतु दिनांक 10/02/2019 को कहा तो प्रतिवादीगण स्पष्ट रूप से इंकार हुए एवं प्रतिवादीगण ने ऐलानिया कथन किया कि उक्त भूमि का बिना कानूनी बाई मिट्स बाउण्ड्स के बंटवाड़ा करवाये ही उक्त भूमि का किसी अन्य अजनबी क्रेता को बेचान हस्तान्तरण रहन वसीयत आदि कर देते एवं वादीगण को उसके कब्जे काश्त से बेदखल कर देंगे। यदि प्रतिवादीगण अपने इन नापाक इरादो में कामयाब हो जाते है एवं वादीगण को उससे हक हिस्से व बंट की भूमि से बेदखल कर देते है तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी एवं वादीगण अपने जायज हक हकूको एवं अधिकारों तथा खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि से वंचित हो जायेगा तथा अनेकों प्रकार की मुकदमेंबाजी होगी जिससे विविध प्रकार की पेचीदगिया बढेगी। जिससे वादीगण खर्चे से जेर बार हो जायेगा। इसलिए वादीगण के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह वादपत्र बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान्‌जी के समक्ष पेश है। उपरोक्त कृषि भूमि वादीगण खातेदार काश्तकार होने से एवं वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने से वादीगण अपने हक हिस्से व बंट की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवाड़ा करवाने का अधिकारी है। तथा मौके पर वादीगण का अपने हक हिस्से व बंट की भूमि पर कब्जा काश्त होने से एवं दस्तावेजात से प्रथम दृष्टिया मामला व सुविधा का संतुलन भी हर दृष्टिकोण से वादीगण के पक्ष में है यदि प्रतिवादीगण अपने नापाक मंसुबों मे सफल हो जाते है तो वादीगण को असीम हानि होगी जिसकी पूर्ति किसी कदर संभव नही होगी एवं मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसेडिंग्स बढेगी। इसलिए प्रतिवादीगण द्वारा किये जा रहे गैरकानूनी कृत्यों को रोके जाने बाबत् यह वादपत्र बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् के समक्ष पेश है। प्रतिवादीगण संख्या 16 तहसीलदार जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार है जो बंटवाड़ा के वाद में आवश्यक एवं प्रोपर पक्षकार होने से बतौर प्रतिवादीगण पक्षकार बनाया गया है तथा प्रतिवादीगण संख्या 13 शाखा प्रबंधक महोदय एम.जी.बी. बैंक शाखा–बलाड़ा के यहां प्रतिवादीगण लुम्बा पुत्र नाथु ने अपना हिस्सा रहन रखा है। तथा प्रतिवादी संख्या 14 एस.बी.आई. निमाज के यहां प्रतिवादीगण घेवरराम व हड़मानराम ने अपना हिस्सा रहन रखकर ऋण लिया है तथा प्रतिवादी संख्या 15 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा जैतारण के यहां पर प्रतिवादीगण भंवरलाल व उगमाराम ने अपना हिस्सा रहन रखकर ऋण लिया है इस कारण से प्रतिवादीगण संख्या 13,14,15 उक्त वादपत्र में आवश्यक प्रतिवादी पक्षकार होने से प्रतिवादी पक्षकार बनाया है। जबकि इनके विरूद्ध कोई अनुतोष नही चाहा गया है। बिनाय वाद दिनांक 10/02/2019 को वादीगण ने प्रतिवादीगण को बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवाड़ा करने का कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा मना करने पर एवं बिना बंटवाड़ा करवायें सामलाती भूमि का किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण करने एवं वादीगण को उसके हक हिस्से व कब्जे से बेदखल करने की ऐलानिया धमकी देने पर बमुकाम बलाड़ा तहसील जैतारण जिला पाली राज. में उत्पन्न हुआ जो श्रीमान् के श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार में होने से उक्त वादपत्र अंदर म्याद श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन्नस् वास्ते जवाब दावा तलब किये गयें। प्रतिवादी संख्या सं. 04 से 12 व 15 की ओर वकालतनामा पेश हुआ। प्रतिवादी सं. 01 से 03, 13, 14 16 बावजुद सम्मनस् सूचना एवं तामिल के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी से 04 से 12 की और से प्रा.प.आदेश 09 नियम 07 सीपीसी का पेश होने पर वकल वादीगण को कोर्ट आपति नही होने से स्वीकार कर सामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी से 04 से 12 की और से जवाबदावा एवं काउन्टरक्लेम पेश हुआ। जिसकी प्रति वकील वादीगण को दिलाई गई। वकील वादीगण काउन्टरक्लेम का जवाब पेश नही करना चाहते हैं। वकील प्रतिवादी सं. 04 से 12 ने काउन्टरक्लेम

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

पेश किया कि सरहद मौजा बलाड़ा में प्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण व अप्रार्थीगण/ वादीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 195 रकबा 00-07 बीघा व खसरा नम्बर 196 रकबा 00-08 बीघा व खसरा नम्बर 197 रकबा 77-10 बीघा की आई हुई है लेकिन उक्त आराजी मौके पर बंटी हुई है। एवं अपने-अपने हिस्से अनुसार प्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण मौके पर शांति पूर्वक काश्त करते आ रहे है। प्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण एवं अप्रार्थीगण/ वादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर अलग अलग काबिज होकर शांति पूर्ण तरीके से काश्त व काश्त के मुतालिक तमाम कार्य करते आ रहे है केवल मात्र राजस्व रेकर्ड में खाता शामलाती है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण एवं अप्रार्थीगण/ वादीगण की संयुक्त खातेदारी एवं मौके पर अलग-अलग काश्त होने से प्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण अपने हक हिस्से व बंट की भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए खाद आदि डाल सकते है न ही किसान क्रेडिड कार्ड बना सकते है न ही सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते है एवं अनेकों प्रकार की कठिनाईयां व समस्याओं का सामना करना पड़ता है इसलिए प्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण एवं अप्रार्थीगण/ वादीगण के उक्त आराजी का राजस्व रेकर्ड में वर्णित हिस्से अनुसार व मौके पर काबिज अनुसार राजस्व रेकर्ड में प्रत्येक हिस्सेदार का खाता अलग अलग किया जाकर लगान बाटी जावें व ट्रेस नक्शा में तरमीम की जाना आवश्यक है। एवं तब तक उक्त आराजी का राजस्व रेकर्ड में खाता अलग नहीं हो जावे तब प्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण के हक हिस्से की जमीन में अप्रार्थीगण/ वादीगण किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं करें जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जावें। वाद के समर्थन में वादीगण का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया सा.मि.किया गया। बहस वकुलाय सुनी गई।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र मय शपथ-पत्र, दस्तावेजात, जवाबदावा एवं काउन्टरक्लेम का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादीगण एवं प्रतिवादीगण बरूबे राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज हैं, अपनी अपनी आराजी का तकासमा चाहतें हैं। लिहाजा पक्षकारान् में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि कि सरहद मौजा-सरहद मौजा बलाड़ा प्रथम, पटवार हल्का-बलाड़ा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र-रास, तहसील-जैतारण, जिला-पाली राजस्थान में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त सामलाती अविभाजित सामलाती खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 195 रकबा 00-07 बीघा, खसरा नम्बर 196 रकबा 00-08 बीघा, खसरा नम्बर 197 रकबा 77-10 बीघा कुल खसरा 3 कुल रकबा 78-05 बीघा भूमि का बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाँउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी /नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को पत्रांक/कोर्ट/2019/396 दिनांक 11/06/2019 को अधिकृत किया जाकर आदेशित किया गया।

तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/2019/3084 दिनांक 17/06/2019 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

पत्रावली मय दस्तावेजात एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा का गहनता से अवलोकन किया गया। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा फर्द पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर हैं। वकुलाय को सुना गया। वकुलाय ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईशतदुआ की हैं। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

-::आदेश::-

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-सरहद मौजा बलाड़ा प्रथम, पटवार हल्का-बलाड़ा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र-रास, तहसील-जैतारण, जिला-पाली राजस्थान में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त सामलाती अविभाजित सामलाती खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

नम्बर 195 रकबा 00-07 बीघा, खसरा नम्बर 196 रकबा 00-08 बीघा, खसरा नम्बर 197 रकबा 77-10 बीघा कुल खसरा 3 कुल रकबा 78-05 बीघा की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा	किस्म	लगान
1	घेवरराम हनुमानराम लुम्बाराम पिता नाथुराम कौम माली सा.देह रहन लुम्बाराम पुत्र नाथुराम का हिस्सा RMGB शाखा बलाड़ा घेवरराम हनुमानराम पिता नाथुराम का हिस्सा SBBJ निमाज।	197/1 197/9 16	14-17 10-08	चा.प. चा.प.	
	योग	2	25-05	चा.प्र	107.61
2	मोहनलाल पुत्र पुखराज कौम माली सा. रियाबड़ी खातेदार।	197/2 197/17	7-08 5-01	चा.प. चा.प.	
	योग	2	12-09	चा.प्र	52.98
3	पेमाराम गोद पुत्र सांवलराम कौम माली सा.देह खातेदार।	197/5 197/9 197/15	0-06 1-11 1-05	चा.प. चा.प. चा.प.	
	योग	3	3-02	चा.प्र	13.22
4	मांगु पुत्र मोहन रामप्यारी पत्नी मोहन कौम माली सा.देह खातेदार।	197/4 197/8 197/14	0-06 1-11 1-05	चा.प. चा.प. चा.प.	
	योग	3	3-02	चा.प्र	13.22
5	उगमाराम परमाराम नोरतराम सुआराम पिता पुखराज भंवरी पत्नी पुखराज कौम माली सा.देह खातेदार। रहन उगमाराम पुत्र पुखराज का हिस्सा BOB शाखा जैतारण।	197/3 197/7 197/13	0-06 1-11 1-05	चा.प. चा.प. चा.प.	
	योग	3	3-03	चा.प्र	13.44
6	भंवरलाल पुत्र बस्ताराम कौम माली सा.देह खातेदार। रहन BOB शाखा जैतारण।	197/6 197/10 197/12	0-06 1-11 1-05	चा.प. चा.प. चा.प.	
	योग	3	3-02	चा.प्र	13.22
7	घेवरराम हनुमानराम लुम्बाराम पिता नाथुराम 1/3 पेमाराम गोद पुत्र सांवलराम मांगु पुत्र मोहन रामप्यारी पत्नी मोहन उगमाराम परमाराम नोरतराम सुआराम पिता पुखराज भंवरी पत्नी पुखराज भंवरलाल पुत्र बस्ताराम 1/6 कौम माली सा.देह मोहनलाल पुत्र पुखराज कौम माली सा.रियाबड़ी 1/6 मंगाराम पुत्र रामचन्द्र सांखला कौम माली कानाराम पुत्र पेमाराम पालड़िया कौम माली राजेश पुत्र शांतिलाल भण्डारी कौम जैन सा.रियाबड़ी राजूराम पुत्र मंगलाराम सांखला कौम माली सा. भैरूजी का बाड़िया रास 1/3 खातेदार।	195 196 197	0-07 0-08 1-14	गै.मु.बैरा गै.मु. चा.प्र. (रास्ता)	
	योग	3	2-09		7.23

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

8	कानाराम पुत्र पेमाराम पालड़िया मंगाराम पुत्र रामचन्द्र सांखला कौम माली राजेश पुत्र शांतिलाल भण्डारी कौम जैन सा.रियाबड़ी राजुराम पुत्र मंगलाराम सांखला कौम माली सा. भैरूजी का बाड़िया रास खातेदार।	197/11 197/18	14-17 10-08	चा.प. चा.प.	
	योग	2	25-05		107.61
9	पेमाराम गोदपुत्र सांवलराम मांगु पुत्र मोहन रामप्यारी पत्नी मोहन उगमाराम परमाराम नोरतराम सुआराम पिता पुखराज भंवरी पत्नी पुखराज भंवरलाल पुत्र बस्ताराम 1/2 कौम माली सा.देह मोहनलाल पुत्र पुखराज कौम माली सा. रियाबड़ी 1/2 खातेदार।	197/16	0-08	चा.प्र. (रास्ता)	0.85
	योग	197/16	0-08	चा.प्र. (रास्ता)	0.85

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 19/06/2019 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner